पत्र सं0-बी-4-वाहन क्रय -आउट सोर्सिंग से वाहन व्यवस्था-2019-2020// 5252 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाँक :: 30 जनवरी, 2020

सर्वश्री आस्था टूर्स एण्ड ट्रवेल्स,

31, सरस्वतीपुरम, अर्जुनगंज, लखनऊ।

माननीय मुख्यमँत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में पंजीयन लक्ष्य निर्धारित करते हुये प्रत्येक वाणिज्य कर खण्ड में पंजीयन अभियान हेतु एक वाहन की व्यवस्था की जाएं के निर्देश दिये गये है जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या-राज्य कर-4-01/11-2020-300(39)/13 दिनाँक 27 जनवरी, 2020 द्वारा 336 वाहन दिनाँक 31.03.2020 तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि दिनाँक 31.03.2020 तक 25 लाख व्यापारी अनिवार्य रुप से पंजीकृत हो जाएं।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आमँत्रित निविदा की शर्तों के क्रमाँक 16 पर अंकित है कि सामान्यता उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की संख्या 100 होगी। गाड़ियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। एवं आप द्वारा दिये गये सहमति पत्र दिनाँक 27.01.2020 के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आउटसोर्सिंग से 100 वाहन लिये जाने हेतु आमँत्रित की गयी निविदा में स्वीकृत न्यूनतम दर एवं शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आमँत्रित निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने की तिथि तक निचे उल्लिखित विवरण के अनुसार 310 अतिरिक्त वाहन प्रत्येक दशा में दिनाँक 03.02.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जोनवार खण्ड कार्यालयों को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	जोन का नाम	वाहन की संख्या
01	गाजियाबाद-प्रथम	13
02	गाजियाबाद- द्वितीय	12
03	लखनऊ-प्रथम/द्वितीय	28
04	कानपुर-प्रथम/द्वितीय	24
05	आगरा	16
06	इटावा	11
07	गौतमबुद्धनगर	12
08	प्रयागराज	14
09	अलीगढ़	18
10	बरेली	13
11	वाराणसी-प्रथम	19
12	वाराणसी-द्वितीय	26
13	सहारनपुर	22
14	मेरठ	12
15	मुरादाबाद	22
16	गोरखपुर	18
17	अयोध्या	17
18	झाँसी	13
योग		310

यह पत्र कमिश्नर महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठाँकन पत्र संख्या व दिनाँक-उक्त

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर को इस आशय से प्रेषित कि माननीय मुख्यमँत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पंजीयन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जोन से सम्बन्धित वाहनों का आवंटन अपने स्तर से खण्ड कार्यालयों को करने का कष्ट करें एवं यदि कोई खण्ड कार्यालय रह जाता है, जिनको वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं कमिश्नर महोदया द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में वाणिज्य कर मुख्यालय के पत्र संख्या 5184 दिनाँक 27.01.2020 द्वारा किये गये आदेश को एतद् द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. समस्त खण्डाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि माननीय मुख्यमँत्री जी द्वारा निर्धारित पंजीयन लक्ष्य की शतप्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें तथा संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आउटसोर्सिंग वाहनों की सूचना विभागीय माड्युल (Outsoured Vehicle Module) में प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।